

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रज्ञापारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 1970/चैत्र 18, 1892

No. 76]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 1970/CHAITRA 18, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 8th April 1970

G.S.R. 620/Ess.Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, Namely:—

1. **Short title.**—This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 1970.

2. **Amendment of clause 1.**—In the Sugarcane (Control) Order, 1966, in clause 1, in sub-clause (2), the words "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted.

[No. 4-15/70-S. Py.]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1970

सा० का० नि० 620/आवश्यक वस्तु / गन्ना — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम:—यह आदेश गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।
2. खण्ड 1 का संशोधन—गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में, खंड 1 में, उपखंड (2) में, “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे।

[सं 4-15/70-एस० पी० वार्ड०]

G.S.R. 621/Ess./Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Control) Order, 1966, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Sugar (Control) Amendment Order, 1970.

2. Amendment of clause 1.—In the Sugar (Control) Order, 1966, in clause 1, in sub-clause (2), the words “except the State of Jammu and Kashmir” shall be omitted.

[No. 1-11/69-S. Py.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

सा० का० नि० 621/आवश्यक वस्तु / शर्करा—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—यह आदेश शर्करा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।
2. खण्ड 1 का संशोधन शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 में खण्ड 1 में, उपखण्ड (2) में, “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे।

[सं० 1-11/69-एस० पी० वार्ड०]

आर० एस० तलवार, संयुक्त सचिव।